न्यायालय : - उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ , जनपद :सीतापुर , तहसील :सिधौली
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202110640501489
वाद संख्या:- 01489/2021
रामेश्वरम एजूकेशनल सोसाइटी बनाम ग्राम पंचायत अलमापुर
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 15/06/2021

निर्णय

रामेश्वरम एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा वीरेन्द्र प्रसाद शुक्ला पुत्र रामेश्वर निवासी 536/265 का मदेहगंज हसनगंज लखनऊ द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र इस आशय से दिया गया कि वाद भूमि गाटा संख्या 204/0.076 हे0, 205/0.786 हे0 तथा 196/0.954 हे0 में से 0.0725 हे0 लगानी 60 ख के अनुसार स्थित ग्राम अलमापुर परगना मनवां तहसील सिधौली का प्रार्थी बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खातेदार है। उक्त भूमि पर कोई कृषि कार्य नही हो रहा है। प्रार्थी ने पूरे क्षेत्रफल पर बाउन्ड्री बनाकर व्यवसायिक कार्य हेतु अच्छादित कर लिया है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य न होकर व्यवसायिक भूमि हो गयी है जो न्यायहित में कृषि कार्य से इतर करके व्यवसायिक भूमि घोषित करके मालगुजारी मुक्त करने की आवश्यकता है। अतः भूमि गाटा संख्या 204/0.076 हे0, 205/0.786 हे0 तथा 196/0.954 हे0 में से 0.0725 हे0 लगानी 60 ख के अनुसार स्थित ग्राम अलमापुर परगना मनवां तहसील सिधौली को कृषि कार्यो से इतर कार्यो के प्रयोजन हेतु (अकृषिक) भूमि घोषित किये जाने की याचना की गयी है।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार सिधौली से जांच करायी गयी। तहसीलदार द्वारा अग्रसारित लेखपाल/राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 24.05.2021 में उल्लिखित है कि ग्राम अलमापुर परगना मनवां तहसील सिधौली की खतौनी वर्ष 1423 से 1428 फसली की खाता संख्या 149 गाटा संख्या 204/0.076 हे0, 205/0.786 हे0 तथा खाता संख्या 175 गाटा संख्या 196/0.954 हे0 में से 0.0725 हे0 खातेदार रामेश्वरम एजूकेशनल सोसाइटी गोविन्दपुरम सीतापुर रोड लखनऊ द्वारा वीरेन्द्र प्रसाद शुक्ला पुत्र रामेश्वर निवासी 536/265 का मदेहगंज हसनगंज लखनऊ के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त गाटा संख्या 204/0.076 हे0, 205/0.786 हे0 तथा 196/0.954 हे0 में से 0.0725 हे0 पर कृषि कार्य नही हो रहा है। उक्त भूमि पर बाउन्ड्री का कार्य अधिकांश हो चुका है। भविष्य में भी कृषि कार्य की सम्भावना नही है। अतः भूमि ग्राम अलमापुर परगना मनवां तहसील सिधौली की खतौनी वर्ष 1423 से 1428 फसली की खाता संख्या 149 गाटा संख्या 204/0.076 हे0, 205/0.786 हे0 तथा खाता संख्या 175 गाटा संख्या 196/0.954 हे0 में से 0.0725 हे0 को गैर कृषिक प्रयोजनार्थ (अकृषिक) भूमि दर्ज किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की है जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 26.05.2021 को स्वीकृतार्थ प्रेषित किया गया है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तथा ग्राम पंचायत अलमापुर द्वारा प्रधान व सहखातेदारों को नोटिस जारी की गयीं जो बाद तामील वापस संलग्न पत्रावली है। कोई आपत्ति प्राप्त नही है। वादी द्वारा गैर कृषिक भूमि घोषणा शुल्क मु0 52360/-(बावन हजार तीन सौ साठ रूपया) भारतीय स्टेट बैंक सिधौली में जरिये चालान संख्या ED00009 दिनांक 11.06.2021 को जमा किया गया, चालान की प्रति संलग्न पत्रावली है तथा वादी द्वारा मु0 52360 रूपये की कोर्ट फीस स्टाम्प (संख्या 942682 से 942726 प्रति मु0 1000 रू0 कुल मु0 4500 रू0 व संख्या 942604 से 942610 प्रति मु0 1000 रू0 कुल मु0 7000 रू0 व 10 रू0 प्रति टिकट कुल 36 टिकट कुल मु0 360 रू0) दाखिल किया गया।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार की जांच आख्या एवं अभिलेखों का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि ग्राम अलमापुर परगना मनवां तहसील सिधौली की खतौनी वर्ष 1423 से 1428 फसली की खाता संख्या 149 गाटा संख्या 204/0.076 हे0, 205/0.786 हे0 तथा खाता संख्या 175 गाटा संख्या 196/0.954 हे0 में से 0.0725 हे0 खातेदार रामेश्वरम एजूकेशनल सोसाइटी गोविन्दपुरम सीतापुर रोड लखनऊ द्वारा वीरेन्द्र प्रसाद शुक्ला पुत्र रामेश्वर निवासी 536/265 का मदेहगंज हसनगंज लखनऊ के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त गाटा संख्या 204/0.076 हे0, 205/0.786 हे0 तथा 196/0.954 हे0 में से

0.0725 हे0 पर कृषि कार्य नही हो रहा है। उक्त भूमि पर बाउन्ड्री का कार्य अधिकांश हो चुका है। भविष्य में भी कृषि कार्य की सम्भावना नही है। कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। अतः भूमि गाटा संख्या 204/0.076 हे0, 205/0.786 हे0 तथा 196/0.954 हे0 में से 0.0725 हे0 स्थित ग्राम अलमापुर परगना मनवां तहसील सिधौली अकृषिक घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी रामेश्वरम एजूकेशनल सोसाइटी गोविन्दपुरम सीतापुर रोड लखनऊ द्वारा मंत्री/सचिव वीरेन्द्र प्रसाद शुक्ला पुत्र रामेश्वर निवासी 536/265 का मदेहगंज हसनगंज लखनऊ की भूमि खतौनी वर्ष 1423 से 1428 फसली की खाता संख्या 149 गाटा संख्या 204/0.076 हे0, 205/0.0786 हे0 तथा खाता संख्या 175 गाटा संख्या 196/0.954 हे0 में से 0.0725 हे0 स्थित ग्राम अलमापुर परगना मनवां तहसील सिधौली जनपद सीतापुर को कृषि कार्य से भिन्न कार्यों के प्रयोजनार्थ (अकृषिक) भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार सिधौली एवं उप निबन्धक सिधौली को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाय।

(सन्तोष कुमार राय)
असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी,
सिधौली (सीतापुर)

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"